न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला–अजमेर (राज0)

राजस्व प्रार्थना संख्या 98/2018

श्रीमती सुगनी पत्नि श्री लादूराम उम्र 50 वर्ष जाति भांबी निवासीनी ग्राम देबीपुरा, नन्दवाड़ा ग्राम पंचायत नन्दवाड़ा तहसील मसूदा जिला अजमेर (राजस्थान)

————प्रार्थीया

ब ना म

1— श्री शान्ती लाल पुत्र श्री हजारी तेली जाति तेली निवासी सूरजपोल गेट, मसूदा ग्राम पंचायत मसूदा तहसील मसूदा जिला अजमेर राजस्थान

2— राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार महोदय मसूदा

———अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आदेश

दिनांक 14/08/2019

संक्षिप्तः प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है, कि मौजा मसूदा द्वितीय पटवार हल्का मसूदा द्वितीय तहसील मसूदा के खसरा नंबर 3872 रकबा 02—15—00 किस्म बा.1, 3873 रकबा 06—08—00 किस्म बा.1 उक्त भूमियो पर प्रार्थीया बतौर मालिक स्वामी काबिज चली आ रहा है। उक्त खसरों में आने जाने हेतू खसरा नंबर 3871 की भूमि में से होकर निकले रास्ते का उपयोग करते है, उक्त खसरान में से होकर प्रार्थीया का कदिमी रास्ता बना हुआ है, जिसका प्रार्थीया उपयोग करती आ रही है, एंव मोके पर रास्ता बना हुआ है। उपरोक्त खसरान के अलावा प्रार्थीया के खेतो में जाने का अन्य कोई मार्ग अधिकार सुखाधिकार एंव अन्य कोई हक अधिकार ना तो विद्यमान है, और ना ही होना संभावित है, प्रार्थीया राजकीय दरो से भुगतान हेतू सहमत है, प्रार्थीया को करीब 20 फीट चौडा रास्ता दिलवाया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है, कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया की उपरोक्त खातेदारी की भूमि में आने जाने के लिये खसरा नंबर 3871 की भूमि में से रास्ता दिलाया जावे तथा उक्त रास्ते का राजस्व रेकार्ड मानचित्र जमाबंदी में अंकन करने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में सारांशतः कथन अंकित किए हैं कि प्रार्थीया की खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 3872,3873 में आने जाने के लिये प्रस्तावित रास्ता ही आने जाने का रास्ता है, प्रार्थीया वर्तमान में अपने खेत खसरा नंबर 3872,3873 में 3871/2 खसरा नंबर भूमि को रास्ते हेतू आने जाने का उपयोग करती है, प्रार्थीया की खातेदारी भूमि में से अन्य वैकल्पिक मार्ग नही होने पर प्रार्थीया द्धारा उक्त खसरान के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग मुख्य मार्ग तक पहुचने में जो आसान हो तथा प्रार्थीया द्धारा चाहे गये रास्ते में नजदीक व सुविधा जनक रास्ता यही है, प्रार्थीया की खातेदारी की भूमि में आने जाने हेतू खसरा नंबर 3871/2 रकबा 06—07—00 में से रकबा 00—10—10 भूमि प्रभावित होगी। प्रस्तावित रास्ते की भूमि प्रभावित होगी जिसका प्रमाणित नक्शा व डी0एल0सी0 रेट प्रस्तुत की है।

प्रकरण में उभयपक्षान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि जमाबंदी संवत 2070 से 2073 में खसरा नंबर 3872,3873 प्रार्थीया सुगनी पत्नि लादूराम कौम भांबी के नाम दर्ज होना पाया गया। जमाबंदी संवत 2070 से 2073 के अनुसार खसरा नंबर 3871/2 किस्म बारानी—3 बजंर भूमि दर्ज होना पाया गया।

———लगातार

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर) राज.

उपखण्ड अधि० एवं सहायक कलेक्टर

तहसीलदार मसूदा की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीया की खातेदारी भूमि से मुख्य सड़क पर पहुचने में खसरा नम्बर 3871/2 रकबा 06–07–00 में से रकबा 00–10–10 भूमि रास्ते हेतु उपयोग होना बताया है तथा तहसीलदार मसूदा ने जो नक्शा ट्रेस में जो प्रस्तावित रास्ता बताया गया है, जो मुख्य सडक से दूर होने के कारण डीएलसी दर 47,520/–रू. प्रति बीघा बताई गई। अतः प्रार्थीया स्वयं की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 3872,3873 में आने जाने हेतु रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी पाई जाती हैं।

ऐसी स्थिति में यह प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। मसूदा द्वितीय पटवार हल्का मसूदा द्वितीय तहसील मसूदा प्रार्थीया की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 3872 रकबा 02–15–00 किस्म बा.1, 3873 रकबा 06–08–00 किस्म बा.1 में आने–जाने हेतु खसरा नम्बर 3871/2 रकबा 06–07–00 में से रकबा 00–10–10 अंकित किये जाने के आदेश पारित किए जाते हैं। उक्त भूमि की डी.एल.सी. दर अनुसार 00–10–10 भूमि की कुल राशि 28690 रू. बनती है एवं जिसकी दुगुनी राशि 57380 रू. बनती है। उक्त राशि 57380/–रू. अप्रार्थी को नियमानुसार राजकोष में अदा की जावे। उक्त राशि अदा किये जाने पश्चात् उक्त रास्ते की भूमि को आम रास्ता सिवायचक राजस्व अभिलेखों में अंकित किया जावे तथा राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम किया जावे। जिस पर समस्त व्यक्ति आने–जाने हेतु उपयोग कर सकेंगे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

आदेश आज दिनांक 14.08.2019 को सुनाया गया।

(मोहनलाल खटनावलिया)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी, मसूदा

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर) राज.

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.05 15:35:03 IST
Reason: SelfAttested
Location: